भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3534

17 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:पंजाब में सतत कृषि पद्धतियां

3534. श्री गुरजीत सिंह औजला:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चावल-गेहूं फसल चक्र, जो पंजाब में जल संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, जिसके पारिस्थितिकीय प्रभाव का समाधान करने की तत्काल आवश्यकता है और वैकल्पिक फसलों जैसे तिलहनों, दलहनों, मिलेट और औषधीय पौधों पर ध्यान केन्द्रित करने से इस क्षेत्र की स्थितियों के अनुकूल अधिक सतत विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और जैविक खेती जैसी उन्नत कृषि प्रौद्योगिकियों में निवेश करने से उत्पादकता और सततता में वृद्धि हो सकती है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन वैकल्पिक फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए कोई पहल किए जाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों को 24-48 घंटों के भीतर विदेश भेजने के लिए कुशल निर्यात चैनल स्थापित करने और खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण में निवेश के साथ-साथ मुर्गीपालन, सुअरपालन, पुष्पकृषि और पशुपालन में अनुसंधान में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार क्षेत्रीय किसानों के लिए एक आशाजनक उद्यम और प्रौद्योगिकियों के लिए विशेष बजट के रूप में एथनॉल उत्पादन के अवसरों की तलाश कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डी.ए.एंड.एफ.डब्ल्यू.) पंजाब सहित मूल हरित क्रांति वाले राज्यों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आर.के.वी.वाई.) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.) क्रियान्वित कर रहा है, ताकि अधिक पानी की खपत वाले धान के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज (श्री अन्न), कपास आदि के लिए बदला जा सके। सी.डी.पी. का उद्देश्य धान की खेती के लिए वैकल्पिक फसलों की बेहतर उत्पादन

प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और प्रचार करना और फलीदार फसलों की खेती के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बहाल करना है। इसके अलावा, भारत सरकार किसानों को कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे दालें, मोटे अनाज, पोषक अनाज (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) के तहत, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन के तहत तिलहन, बागवानी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एस.ए.यू.) की भागीदारी के साथ सिंचित परिस्थितियों के लिए फसल विविधीकरण पर अनुसंधान करता है। इन राज्यों के लिए विविध फसलों के साथ वैकल्पिक फसल प्रणालियों की पहचान की गई है। इसके अलावा, 16 राज्यों के लिए उपयुक्त 72 फसल प्रणालियों के लिए फसलों के जैविक उत्पादन के लिए पद्धितियों का पैकेज विकसित किया गया है। साथ ही, 7 राज्यों के लिए आठ एकीकृत जैविक खेती प्रणाली मॉडल विकसित किए गए हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पी.ए.यू.), लुधियाना और आई.सी.ए.आर.-केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सी.आई.पी.एच.ई.टी.), क्षेत्रीय स्टेशन, अबोहर हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और संरक्षित खेती के विभिन्न पहलुओं पर काम करते हैं। आई.सी.ए.आर. के पशु विज्ञान प्रभाग के तहत मूल्यवर्धित उत्पाद विकास, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने, गुणवत्ता नियंत्रण और सुरक्षा पहलू पर पोल्ट्री, सूअर (मांस) और मवेशी (दूध) पर अनुसंधान किया जा रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद फसल विविधीकरण पर नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए पंजाब राज्य सहित अन्य राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र (के.वी.के.) योजना का क्रियान्वयन कर रही है।

एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडस (एआईएफ) फसल-उपरांत के प्रमुख इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए बैंक वित्तपोषण का समर्थन करता है। यह प्रेसीजन खेती, ड्रोन, आईओटी सिस्टम, स्मार्ट सिंचाई और आधुनिक मशीनरी जैसी उन्नत तकनीकों के एकीकरण में मदद करता है। ए.आई.एफ. बैंक ऋण प्रदान करके, नवीन पद्धितियों को बढ़ावा देकर और उद्यमियों और किसानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर कृषि-उद्यमियों और स्टार्ट-अप का भी समर्थन करता है। इस पहल में हाइड्रोपोनिक, वर्टिकल और एरोपोनिक खेती सहित विभिन्न उन्नत कृषि तकनीकों के साथ-साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष सेंसर और रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोगों का उपयोग शामिल है।

(ङ) सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सी.) इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। ई.बी.पी. कार्यक्रम के तहत सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य तय किया है। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018 के तहत सरकार ने विभिन्न प्रकार के फीड-स्टॉक जैसे कृषि अवशेषों (चावल के भूसे, कॉटन स्टाक, कॉर्न कोब, शॉ, बैगेश आदि); स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, रोटेन पोटेटो आदि; क्षतिग्रस्त खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल आदि के अलावा गन्ना और अन्य चीनी युक्त फसलें जैसे शुगर बीट, स्वीट सोरघम आदि से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है। सरकार इथेनॉल उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में मक्का के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है।

****